न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 47/2024 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2024/32)

1.	जसवन्तसिह पुत्र	गुरदिता सिह	जाति मजबी सिख निवासी चक 6 एल. एस. एम. तहसील व जिला अनूपगढ।
2.	अर्जनसिह पुत्र		
3.	महेन्द्र कौर पुत्री		
4.	बलवीर कौर पत्नी	जसपालसिह	
5.	कुलदीपसिह पुत्र		
6.	केवलसिह पुत्र		
7.	सुखप्रीत कौर पुत्री		

अपीलान्ट्स

बनाम

1. महेन्द्रसिह पुत्र गुरदितसिह जाति मजबी सिख निवासी चक 6 एल. एम. तहसील व जिला अनूपढ (मृतक)

1/1 चरणो पत्नी महेन्द्र सिह

1/2	स्वर्णसिह पुत्र	स्व. महेन्द्र सिह जाति मजबी सिख निवासी चक 6 एल.एस.एम. तहसील व जिला अनूपगढ।
1/3	सुखचेनसिह पुत्र	
1/4	गुरप्रीत सिह पुत्र	
1/5	रणजीतकौर उर्फ रानी कौर पुत्री	
1/6	मंगल सिह पुत्र	
1/7	सर्वजीतकौर उर्फ हरखजीत कौर पुत्री	

2. स्टेट जरिये तहसीलदार अनूपगढ जिला अनूपगढ।

रेस्पोडेंट

उपस्थितः
1. श्री जयचन्दलाल सारस्वत – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री जगदीश शर्मा – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 ता 1/7
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांकः 06.08.2024

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ के प्रकरण सं. 2/2008 निर्णय दिनांक 25.02.2019 के विरूद्ध पेश हुई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ के प्रकरण संख्या 2/2008 अनवान महेन्द्रसिह बनाम जसवंतसिह वगैरह के निर्णय दिनांक 25.02.2019 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 25.02.2019 को निरस्त कर जैर अपील रकबा बाबत अपीलान्ट सं. 1 ता 3 का 3/5 व रेस्पोडन्ट

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सं. 1 का 1/5 व अपीलान्ट सं. 4 ता 7 का 1/5 हिस्सा का नयें सिरे से विरासतन नामान्तरण दर्ज करने के आदेश तहसीलदार अनूपगढ़ को देने का अनुतोष चाहा गया है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 के विद्वान अभिभाषक ने सयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि उक्त अपील में पक्षकारान के मध्य बाहमी समझोता हो चुका है जिसके मुताबिक जैर अपील रकबा का विरासतन नामान्तरण दर्ज करवाने पर सभी पक्षकारान सहमत है। अतः विरासतन इन्तकाल दर्ज करने के निर्देश के साथ अपील स्वीकार फरमाई जावे।

5. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार गुरदितसिह वल्द श्री पूर्णसिह जाति मजबी सिख द्वारा दिनांक 16.02.1985 को अपने पुत्रो अर्जनसिह, जसपालसिह व महेन्द्रसिह के पक्ष में वसीयत निष्पादित किया जाना पाया है जो नोटेरी सत्यापित है। वसीयत के गवाहान का शपथ पत्र भी पत्रावली पर है उक्त वसीयत का न तो ठोस तथ्यो के साथ खंडन किया गया है व न ही उक्त वसीयत की वैधता पर किसी सिविल न्यायालय का विनिश्चय पत्रावली पर है। उक्त तथ्यो व विवेचन के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.02.2019 में हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नही होती है। लिहाजा अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़ का निर्णय दिनांक 25.02.2019 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर